

भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2643]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 26, 2013/अग्रहायण 5, 1935

No. 2643]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 26, 2013/ AGRAHAYANA 5, 1935

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2013

का.आ. 3488(अ).—केन्द्र सरकार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (1993 का 69) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए अभिलेखीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2533(अ) दिनांक 25 सितम्बर, 2009 में संशोधन करती है :—

1. लोक अभिलेख अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन पदेन अध्यक्ष :  
(i) सचिव, संस्कृति मंत्रालय
2. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन पदेन सदस्य :

- (i) संयुक्त सचिव  
मंत्रिमंडल सचिवालय
  - (ii) संयुक्त सचिव  
गृह मंत्रालय
  - (iii) संयुक्त सचिव  
रक्षा मंत्रालय
  - (iv) संयुक्त सचिव  
विदेश मंत्रालय
  - (v) संयुक्त सचिव  
वित्त मंत्रालय
  - (vi) संयुक्त सचिव  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
3. लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन पदेन सदस्य:
- (i) संयुक्त सचिव, रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार
  - (ii) संयुक्त सचिव, चण्डीगढ़ प्रशासन
4. लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रोफेसर, इतिहासज्ञ तथा अभिलेखाधिकारी एवं विशेष आमंत्रिती:
- (i) श्री अजय चौधरी (उपाध्यक्ष )  
सेक्टर बी, पाकेट -1, कृते ग्रीन वैली स्कूल, वसन्त कुंज,  
नई दिल्ली -110070
  - (ii) डा. सरला शर्मा  
4, पंचशील इन्क्लेव  
क्लार्क आमेर होटल के पास, जे एल एन रोड  
जयपुर-302018
  - (iii) डा. मो. इरशाद नदवी नोगानवी  
रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर-244901  
उत्तर प्रदेश
  - (iv) श्री एम एस जाहिर  
निदेशक,  
अभिलेख, अभिलेख विज्ञान एवं संग्रहालय विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार  
श्रीनगर

- (v) प्रो. मनमोहनी कौल  
सेन्टर फॉर इण्डो पैसिफिक स्टडिज  
अंतरराष्ट्रीय अध्ययन पीठ  
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय  
नई दिल्ली
- (vi) स्कवा. ली. (से. नि.) आर. टी. एस चिन्ना  
सचिव, सशत्रु बल ऐतिहासिक अनुसंधान केन्द्र, यू एस आई, राव तुलाराम मार्ग, सिग्मल  
इन्क्लेव के सामने, बसन्त विहार,  
पो. बॉ.-8, नई दिल्ली -110057
- (vii) श्री गौतम चन्द जैन,  
9/7 अरिहन्त कृपा, लूनावत भवन,  
लक्ष्मी रोड, शान्ति नगर, बंगलौर-560027
- (viii) श्री सियाराम मीणा,  
ई-18, गाँधी नगर,  
जयपुर, राजस्थान
- (ix) श्री आर जी सोमशेखर गौडा,  
124, 12वाँ बी मेन रोड,  
छटा ब्लॉक, राजाजी नगर, बंगलौर
- (x) डा. सुषमा यादव,  
एल -124, सेक्टर -11, नोएडा -201301  
उत्तर प्रदेश

लोक अभिलेख अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) का खण्ड (घ) क्र.सं. (i) से (iii) पर निर्दिष्ट तीन सदस्यों के नामांकन को स्वीकृति प्रदान करता है तथा वे इस प्रावधान के अन्तर्गत होंगे। इसी प्रकार से क्र. सं. (iv) से (x) पर निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष आमंत्रित होंगे और उन्हें नामित सदस्यों के समान ही प्रतिष्ठा तथा सुविधाएं प्रदान होंगी।

5. लोक अभिलेख अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (इ) के अधीन पदेन सदस्य सचिव:

(i) अभिलेख महानिदेशक

सभी सदस्य (पदेन सदस्यों और विशेष आमंत्रितियों सहित) अभिलेखीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए केन्द्र सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को स्वीकार्य दर से यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता पाने के हकदार हैं।

[फा. सं. 16-16/2012 आरएम]

वी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CULTURE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2013

S.O. 3488(E).—In exercise of the power conferred by Sub-Section (1) of Section 13 of the Public Records Act, 1993 (No. 69 of 1993) the Central Government hereby nominates the following persons as members of the Archival Advisory Board for a period of three years and for the purpose, amends the Government of India, Ministry of Culture notification No. S.O. 2533(E), dated the 25th September, 2009 :—

1. Ex-officio Chairman- under clause (a) of sub-section (2) of Section 13 of Public Records Act
  - (i) Secretary, Ministry of Culture.
2. Ex-officio members—clause (b) of sub-section (2) of Section 13 of Public Records Act, 1993
  - (i) Joint Secretary  
Cabinet Secretariat
  - (ii) Joint Secretary  
Ministry of Home Affairs
  - (iii) Joint Secretary  
Ministry of Defence
  - (iv) Joint Secretary  
Ministry of External Affairs
  - (v) Joint Secretary  
Ministry of Finance
  - (vi) Joint Secretary  
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
3. Ex-officio members, under clause (c) of sub-section (2) of Section 13 of Public Records Act, 1993:—
  - (i) Joint Secretary, Government of NCT, Delhi
  - (ii) Joint Secretary, Chandigarh Administration
4. Professors, Historians and Archivist under clause (d) of sub-section (2) of Section 13 of Public Records Act, 1993 and special invitees :—
  - (i) Shri Ajay Chaudhary (Vice Chairman)  
Sector B, Pocket-1, C/o Green Valley  
School Vasant Kunj  
New Delhi-110070
  - (ii) Dr. Sarla Sharma  
4, Panchsheel Enclave  
Near Clark Amer Hotel, JLN Road,  
Jaipur-302018
  - (iii) Dr. Mohammad Irshad Nadwi Noganwi  
Rampur Raza Library  
Rampur-244901  
Uttar Pradesh
  - (iv) Shri M.S. Zahid  
Director,  
Department of Archives, Archaeology & Museum,  
J&K Govt., Srinagar
  - (v) Prof Manmohini Kaul  
Centre for Indo-Pacific Studies  
School of International Studies  
Jawaharlal Nehru University  
New Delhi.

- (vi) Sqn Ldr (Retd.) R.T.S. Chinna  
Secretary, Centre for Armed Forces Historical Research, USI  
Rao Tula Ram Marg, Opposite Signal Enclave, Vasant Vihar  
P.O. Box No.8  
New Delhi-110057
- (vii) Shri Goutam Chand Jain  
9/7 Arihant Krupa, Lunawat Bhavan  
Lakshmi Road, Shantinagar, Bangalore-560027
- (viii) Shri Siya Ram Meena  
E-18, Gandhi Nagar  
Jaipur, Rajasthan
- (ix) Shri R.G. Somashekar Gowda  
124, 12<sup>th</sup> B Main Road  
6<sup>th</sup> Block, Rajajinagar  
Bangalore
- (x) Dr. Sushma Yadav  
L-124, Sector 11- Noida 201301  
Uttar Pradesh

Clause (d) of sub-section (2) of Section 13 of the Public Records Act permits nomination of three members, and those mentioned at Sl. No.(i) to (iii) shall be under this provision. However, persons mentioned at Sr. No. (iv) to (x) will be special invitees and shall enjoy the same status and facilities as that of nominated members.

5. Ex-officio Member Secretary under Clause (e) of Sub-section (2) of Section 13 of Public Records Act:
- (i) Director General of Archives

All members (including ex-officio members as well as special invitees) are entitled to draw travelling allowances and daily allowances for attending the meetings of the Archival Advisory Board at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government.

[F. No. 16-16/2012 RM]

V. SRINIVAS, Jt. Secy.

4995GI/13-2